

२/४/२५

पत्रावली बेश हुई। वकिल पक्षकार उपस्थित।  
तदधीनस्थ सी.एन.वाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट  
में बताया गया कि मुल्काद में पारि  
निर्णय पर आपत्ती होने से पुनर्विचार हेतु  
(रिव्यु पीपीएन) आवेदन प्रस्तुत किया गया है,  
जो मातृपीठ न्यायालय में विचाराधीन है। पुनर्विचार  
प्रार्थना-पत्र पर निर्णय होने तक इजराय की  
पालना नही की जा सकती है। रिव्यु प्रार्थना-  
पत्र पर निर्णय होने के पश्चात् ही निर्यात/पालना  
हो सकेगी। अतः पत्रावली खारिज की जाती है।  
पत्रावली फौजल शुकात को नम्बर से ऊर होकर  
दालिब दफ्तार हो।

SPO

उपखण्ड अधिकारी  
सी.एन.वाडा